कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची
e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–22/2020– 82 **दिनांक :–** 05/2/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/सामाजिक वानकी प्रमंडल, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2026–27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण, पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण तथा पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण कार्य के लिए कुल **रू0 231.875 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख सतासी हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–25/2020–26/स्वी0 व0प0 दिनांक–27.01.2021 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0 बजट–25/ 2020–40/आ0 व0प0 दिनांक–29.01.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 231.875 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख सतासी हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	100.936
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	130.939
कुल :–		**231.875**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1(क से ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2(क से ग)** एवं स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3(क से ग)** पर तथा ऑन लाईन उप–आवंटन **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. यदि नदी तट वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत वनभूमि अथवा गैर–मजरुआ भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो एसी स्थिति में नदी तट वृक्षारोपण की एक इकाई, जिसकी लम्बाई 100 मी0 होती है, उसके चयन के क्रम में यदि आंशिक रुप से रैयती भूमि आ रही हो, तो इस प्रकार की रैयती भूमि का हिस्सा (100 मी0 लम्बाई की इकाई में) यदि अधिकतम 30 प्रतिशत हो तो इस प्रकार के स्थल को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जा सकता है। इस क्रम में यह आवश्यक होगा कि जमीन के मालिक वन विभाग को योजना अवधि के लिए उक्त रैयती भूमि को वृक्षारोपण के लिए स्वेच्छा से सुपूर्द करने को तैयार हो एवं इसके लिए वन विभाग को इकरारनामा–सह–अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दें। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

5. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

10. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

12. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाहय मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

13. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

14. **(i)** मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

15. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

18. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

19. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

21. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–2341 दिनांक–04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

22. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

23. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

24. नदी तट वृक्षारोपण कार्य अन्तर्गत वर्त्तमान नये कार्य को स्वर्णरेखा नदी में उदगम से राँची जिला के सीमा तक ही किया जाय। नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25. **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जिन वन प्रमंडलों के स्थलों में जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थलों का जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस उपलब्ध कराने के उपरांत हीं राशि व्यय करेंगे।**

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–22 / 2020–**82 **दिनांक–** 05/2/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / जमशेदपुर एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–22 / 2020–**82 **दिनांक–** 05/2/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1(क)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि0मी0 में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि0मी0 10 यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2020–21 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				47872.27	59710.54	**107582.81**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	10.00	100.00	47.872	59.710	107.582
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	10.00	100.00	47.872	59.710	107.582
	योग :–	**20.00**	**200.00**	**95.744**	**119.420**	**215.164**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

D:\2020-21\Development\Sub-Allotment\RSP\TSP\Advance Work\S.O. No. 26 dated 27.01.2021\River Side Plantation\W. P. -1

अनुलग्नक–1(ख)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय वर्ष 2020–21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			212.98	922.75	**1135.73**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	1000	2.130	9.227	11.357
योग :–		**1000**	**2.130**	**9.227**	**11.357**

अनुलग्नक–1(ग)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय वर्ष 2020–21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			612.31	458.40	**1070.71**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	500	3.062	2.292	5.354
योग :–		**500**	**3.062**	**2.292**	**5.354**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

D:\2020-21\Development\Sub-Allotment\RSP\TSP\Advance Work\S.O. No. 26 dated 27.01.2021\River Side Plantation\W. P. -1

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300	
पौधो की दूरी	2mx3m	
1 यूनिट का परिमाप	2000 m2	**100*20**
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m	
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	295.80	रुपये

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80**					
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति इकाई	0.6	177.48		177.48
2	घनी झाड़ी सफाई	प्रति इकाई	2	591.60		591.60
3	**घेरान कार्य**	प्रति इकाई	-			
3.1	आर0सी0सी0 पीलर 82 सं0 823.00 रू0 प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	34904.40	39475.16	74379.56
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्अेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1754.09		1754.09
3.4	आर0सी0सी0 पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढुलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	8137.46	5763.38	13900.84
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू0 मी0 967 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	प्रति इकाई	6.60	1952.28	0.00	1952.28
5	मृदा एवं जल संरक्षण–गली प्लगिग / सिल्ट रिंटेंशन डैम / कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	प्रति इकाई	1.20	354.96	0.00	354.96
	कुलः–		**161.84**	**47872.27**	**59710.54**	**107582.81**
B	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों का क्रय ढुलाई सहित 360	10 रू0 प्रति	0	0.00	3600.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	2244.00	0.00	2244.00
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति इकाई	7.50	2550.00	0.00	2550.00
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	6120.00		6120.00
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
	कुलः–		**32.10**	**10914.00**	**4572.13**	**15486.13**
C	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 391 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1642.20	0.00	1642.20
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / उरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	9384.00	0.00	9384.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	469.20	275.00	744.20
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	242.42	100.00	342.42
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	5333.24	0.00	5333.24
	कुलः–		**43.66**	**17071.06**	**1036.40**	**18107.46**

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
D	**वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 450 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1890.00		1890.00
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	10800.00	0.00	10800.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.2	540.00	275.00	815.00
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	6138.00		6138.00
	कुलः–		**43.04**	**19368.00**	**479.90**	**19847.90**
E	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 517 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए**					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	2171.40		2171.40
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	6204.00		6204.00
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	620.40	275.00	895.40
	कुलः–		**17.4**	**8995.80**	**479.90**	**9475.70**
F	**वित्तीय वर्ष 2025–26 में संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 595 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2024–25 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	7140.00		7140.00
	कुलः–		**12.00**	**7140.00**	**0.00**	**7140.00**
G	**वित्तीय वर्ष 2026–27 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 684 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2025–26 को आधार मानते हुए**					
1	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	12.00	8208.00		8208.00
	कुलः–		**12.00**	**8208.00**	**0.00**	**8208.00**
	सकल योगः–		**322.040**	**119569.13**	**66278.87**	**185848.00**

नोट (1) कंटीले तार का क्रय **GeM** द्वारा अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की समिति की अनुशंसित दर पर किया जाएगा (जो न्यूनतम हो)।

(2) प्रत्येक ब्लॉक के बीच सुगम आवगमन हेतु कुछ अंतर रखा जाए, ताकि आदमी एवं जानवर का आवागमण हो सके। व्यवहारिक रुप से 10 ब्लॉक को 1 कि0 मी0 माना जा सकता है।

(3) स्थल पर उपलब्ध भूमि के आकार एवम् लगाए जाने वाले पौधों की संख्या के अनुसार क्रमांक (A) से क्रमांक (E) तक कार्यों की दर को **Pro-rata** आधार पर स्थल – विशिष्ट प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात व्यय किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम– पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित – गमला गैबियन वृक्षारोपण

गैबियन का आकार – उपर का व्यास रींग 2'.5'' बीच का व्यास रींग 2'.0'' एवं नीचे का व्यास रींग 1'.5'', ऊंचाई – जमीन से उपर 5'.3'' तथा एक फीट गहरा जमीन में एवं 9'' की पत्ती मुड़ी जो आगे से कटी हुई हो।

स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0

पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

कार्य दर – एक गैबियन

मजदूरी प्रति मानव दिवसः 295.80 रूपये

कम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80**						
1	घेरान कार्य						
क	गैबियन हेतु हरे रंग का hexagonal आकार का पॉलीनेट (thickness of filament 4mm, thickness of joint 5.5mm, 550 GSM, Polynet @ Rs 85/sq.mtr.) का क्रय	3.5 sq.mtr	0.00	0.00	297.50	297.50	
ख	लोहे की पत्ती (5mm thick, 20mm wide, 40 feet length) का क्रय एवं गैबियन निर्माण (रू0 65/– प्रति किलो कुल 9 कि0ग्रा0)	प्रति गैबियन	0.40	118.32	485.00	603.32	
ग	गैबियन का खूँटा गाड़ने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा गाड़ने हेतु 1' x 6" x 6" आकार के 3 गढ़ो को खोदना तथा पी.सी.सी. का ढ़लाई (1:3:6)	प्रति गैबियन	0.15	44.37	20.25	64.62	
घ	प्लास्टिक स्टेपलस का क्रय एवं स्टेपलस को पॉलीनेट एवं लोहे के पत्ती के साथ बाहर से बांधना।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
ड.	सामान की ढुलाई प्रति गैबियन रू0 50/–	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
च	गैबियन की लोहा पत्ती पर पाउडर कोटेड पेंट।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	50.29	0.00	50.29	
	योग		**0.72**	**212.98**	**922.75**	**1135.73**	
(B)	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 340 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	**25.00**	
2	गड्ढ़े में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	51.00	20.00	**71.00**	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	34.00	2.00	**36.00**	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	51.00	4.50	**55.50**	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	170.00	25.00	**195.00**	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	170.00	0.00	**170.00**	
7	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	**20.00**	
	योग		**1.40**	**476.00**	**96.50**	**572.50**	

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(C)	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 391 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	58.65	4.50	**63.15**	
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	195.50	5.00	**200.50**	
3	गैबियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	195.50	60.00	**255.50**	
	योग		**1.15**	**449.65**	**69.50**	**519.15**	
(D)	**वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 450 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए**						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	67.50	4.50	**72.00**	
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	225.00	5.00	**230.00**	
3	गैबियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	225.00	60.00	**285.00**	
	योग		**1.15**	**517.50**	**69.50**	**587.00**	
	कुल योग		**4.42**	**1656.13**	**1158.25**	**2814.38**	

नोट (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।
(2) गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी।
(3) गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(4) प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।
(5) पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।
(6) चार वर्षो की योजना समाप्ति के पश्चात् पोलीनेट जाली को खोलकर इसे recycle करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनु0–(ग)

योजना का नाम– पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस–गैबियन का आकार:6'-6"x2'-6"x2'-6"

2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0
पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवसः 295.80 रूपये

कम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रू0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 295.80**						
1	घेरान कार्य						
क	बाँस का खूँटा –4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'–6") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 4 बाँस @ 80.00 रू. ; प्रति ग्रामीण बाँस) ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	320.00	**320.00**	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना	प्रति गैबियन	1.00	295.80	0.00	**295.80**	
ग	खूँटों की कोलतार/ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.20	59.16	6.00	**65.16**	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.30	88.74	90.00	**178.74**	गर्म पेंट में डूबोकर रंगाई की जायेगी। गैबियन को एक हरा–एक लाल alternate स्थापित किया जायेगा।
ङ	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गढो को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.20	59.16	0.00	**59.16**	
च	जाफरी सहित खूँटा लगाना–4 खूँटा –20 खूँटा प्रति मानव दिवस (ढुलाई सहित)	प्रति गैबियन	0.20	59.16	15.00	**74.16**	
छ	जाफरी हेतु	प्रति गैबियन		0.00		**0.00**	
	(1) तार 100 ग्राम (67/– रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	**6.70**	
	(2) कांटी 300 ग्राम (69/– रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	**20.70**	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	50.29	0.00	**50.29**	
	योग		**2.07**	**612.31**	**458.40**	**1070.71**	
(B)	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	**25.00**	छः फीट ऊँचाई के काष्ठ, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति के Evergreen पौधे लगाए जाएँगे
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	51.00	20.00	**71.00**	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	34.00	2.00	**36.00**	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	51.00	4.50	**55.50**	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	170.00	25.00	**195.00**	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	170.00	0.00	**170.00**	
7	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	**20.00**	
	योग		**1.40**	**476.00**	**96.50**	**572.50**	

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रू0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(C)	**वित्तीय वर्ष 2022—23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 391 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021—22 को आधार मानते हुए**						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	58.65	4.50	**63.15**	
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	195.50	5.00	**200.50**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	195.50	60.00	**255.50**	
	योग		**1.15**	**449.65**	**69.50**	**519.15**	
(D)	**वित्तीय वर्ष 2023—24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 450 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022—23 को आधार मानते हुए**						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	67.50	4.50	**72.00**	
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	225.00	5.00	**230.00**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	225.00	60.00	**285.00**	
	योग		**1.15**	**517.50**	**69.50**	**587.00**	
	कुल योग		**5.77**	**2055.46**	**693.90**	**2749.36**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3(क)

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2026–27 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का स्थल विवरणी

क्र0	प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21					अभियुक्ति
		प्रक्षेत्र का नाम	नदी का नाम	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस	रकबा (कि0मी0 मे)	
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	राँची पूर्वी वन क्षेत्र, महिलौंग	स्वर्णरेखा नदी	तुरुप	N23°25'50" E85°26'8"	10	वर्तमान नये कार्य को स्वर्णरेखा नदी में उदगम से राँची जिला के सीमा तक ही किया जाय।
				सालहन	N23°25'46" E85°26'3"		
				लालगढ़	N23°25'38" E85°26'6"		
				सिमलिया	N23°25'47" E85°26'24"		
				महेशपुर	N23°45'29" E85°74'21"		
				रंगामाटी	N23°45'21" E85°59'09"		
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, तमाड़	स्वर्णरेखा नदी	साहेदा	N23°26'48" E85°43'19"	10	
				हलमाद	N23°27'31" E85°44'57"		
				भुली	N23°27'42" E85°46'27"		
				हाकेदाग	N23°27'24" E85°47'27"		
	योगः–					**20**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–3(ड)

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/थाना नं0	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस	प्लॉट नं0	रकबा (गै0 मे)
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	मानगो वन प्रक्षेत्र		मानगो–1642	आर्मी कैम्पा, सोनारी			500
		मानगो वन प्रक्षेत्र		मानगो–1642	कोर्ट परिसर, जमशेदपुर			500
				योग:–				**1000**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक—3(ग)

वित्तीय वर्ष 2020—21 से 2023—24 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/थाना नं0	स्थल का नाम	जी0पी0एस0 कॉ—ऑर्डिनेटस	प्लॉट नं0	रकबा (गै0 मे)
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	मानगो वन प्रक्षेत्र		मानगो—1642	पुलिस लाईन, जमशेदपुर			500
	योगः—							**500**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2020/82 दिनांक - 05-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	75404	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	4,787,200.00 रुपये सैतालीस लाख सित्यासी हजार दो सौ
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	75412	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	4,787,200.00 रुपये सैतालीस लाख सित्यासी हजार दो सौ

योग: 9,574,400.00

क्रमिक योग: रुपये पिनचानवे लाख चौहत्तर हजार चार सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 5/2/2021

पत्र संख्या - 01/YB-22/2020/82 दिनांक - 05-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	75415	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	519,200.00 रुपये पाँच लाख उन्नीस हजार दो सौ
4	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	75421	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	5,971,000.00 रुपये उनसठ लाख इकहत्तर हजार
5	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	75424	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	5,971,000.00 रुपये उनसठ लाख इकहत्तर हजार

Entry 3 — State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279); Centeral Scheme : NA

Entry 4 — State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279); Centeral Scheme : NA

Entry 5 — State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279); Centeral Scheme : NA

योग: 12,461,200.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड बीस लाख पेंतीस हजार छः सौ 22,035,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 5/2/2021

पत्र संख्या - 01/YB-22/2020/82 दिनांक - 05-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	75426	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,151,900.00 रुपये ग्यारह लाख इकावन हजार नौ सौ

State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)

Centeral Scheme : NA

योग: 1,151,900.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड इकतीस लाख सित्यासी हजार पॉच सौ 23,187,500.00

5/2/2021

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 5/2/2021